



Understanding Salary Calculation

traininganddevelopment@utkarsh.com

Final Salary ✨

Basic Salary ➡ Gross Salary ➡ Net Salary
(In Hand)

Basic Salary

कंपनी और कर्मचारी द्वारा इंटरव्यू के दौरान सहमत वेतन होता है। इसमें कोई अतिरिक्त राशि शामिल नहीं होती है। (जैसे यदि रविवार को कार्य किया है तो वह इसमें शामिल नहीं किया जाता है।)



Gross Salary

$$\frac{\text{बेसिक सैलरी}}{\text{एक महीने में कुल दिनों की संख्या}} \times (\text{कुल कार्य दिवस} + \text{साप्ताहिक अवकाश} + \text{PL/CL/SL} + \text{Holiday Working(HW)/Compensatory Off(CO)})$$

Applicable Deductions & Contributions

SNo.	Applicable Deductions (as applicable)	Applicable Contributions (as applicable)
1	TDS - वर्तमान आयकर नियमों के अंतर्गत सालाना सैलरी 5 लाख से अधिक होने पर नियमानुसार राशि TDS के रूप में काटी जाएगी।	Provident Fund (12%) • 15000 तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की ग्रास सैलरी से 12% वेतन काटा जाता है। • इसमें 12 % कंपनी की तरफ से कन्ट्रिब्यूट किया जाता है।
2		ESIC (0.75%) • 21000 तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की ग्रास सैलरी से 0.75% वेतन काटा जाता है। • इसमें 4.75% कंपनी की तरफ से कन्ट्रिब्यूट किया जाता है।

Net Salary (Salary in hand)



$$\text{Net Salary} = \text{Gross Salary} - \text{Contributions/ Deductions (As applicable)}$$

(Net Salary आपके बैंक खाते में आती है।)

Privilege Leave(PL)/ Earned Leave (EL)

- यह छुट्टी आपको अतिरिक्त काम करने के बदले मिलती है। इसलिए इसे अर्जित अवकाश (Earned leave-EL) भी कहते हैं।
- 15 days in a calendar year on pro- rata basis(एक वर्ष में बराबर भाग या अनुपात में 15 दिन)
- कोई भी कर्मचारी अपनी प्रोबैशन काल के दौरान PL,CL,SL नहीं ले सकता है, जिन स्टाफ का प्रोबैशन जिस महीने में पूरा होता है उस महीने में तभी योग्य है अगर उसकी जॉइनिंग 1 से 15 के बीच है ।
- अगर जॉइनिंग 16 से 30/31 के मध्य है तो अगले महीने में लीव के लिए योग्य होगा ।

उदाहरण के लिए - अगर किसी कर्मचारी ने 5 जनवरी को जॉइन किया है तो उसका प्रोबैशन 5 अप्रैल को पूरा होगा और वह अप्रैल से लीव ले सकता है लेकिन अगर उसने 17 जनवरी से जॉइन किया है और उसका प्रोबैशन काल 17 अप्रैल को पूर्ण होगा। वह मई से लीव के लिए योग्य होगा ।



UTKARSH
—CLASSES—

Privilege Leave(PL)/ Earned Leave (EL)

- इस छुट्टी के बदले नक़द भुगतान (Leave Encashment) के लिए एक साल से कार्य कर रहे कर्मचारी योग्य होंगे। इन छुट्टियों को साल के अंत में encash करवाया जा सकता है।
- यदि यह छुट्टी नहीं ली गई है तो अधिकतम 30 दिन ही अगले साल आगे फॉरवर्ड की जा सकती है। जैसे- किसी एम्प्लोयी की तीन साल की $15 + 15 + 15 = 45$ दिन बाकी हो तो केवल 30 दिन ही 4th साल आगे फॉरवर्ड किये जाएंगे।

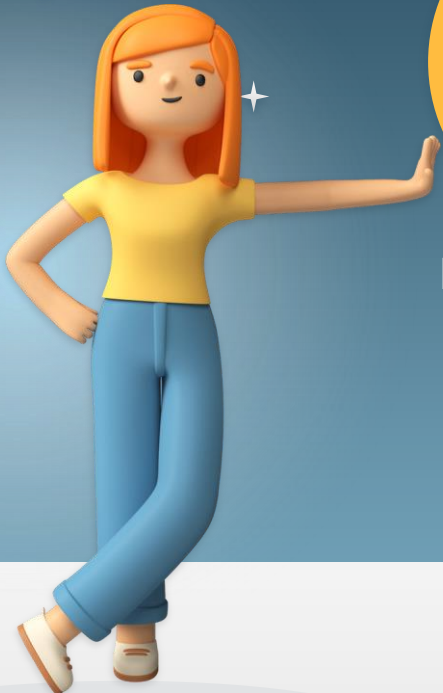
Casual Leave (CL) & Sick Leave (SL)

Casual Leave (CL) (आकस्मिक अवकाश)

- यदि किसी कारण अचानक छुट्टी लेनी हो तो इस अवकाश के लिए आवेदन करें। अवकाश का कारण विस्तार में साझा करें।
- 7 days in a calendar year. (वर्ष में केवल 7 बार इस हेतु पात्र होंगे।)

Sick Leave (SL) (चिकित्सा अवकाश)

- बीमार होने पर, घायल हो जाने पर या कोई अन्य शारीरिक दिक्कत पर Medical Leave (चिकित्सा अवकाश) ली जा सकती है। इसके लिए डॉक्टर की पर्ची देना अनिवार्य है।
- 8 days in a calendar year. (वर्ष में केवल 8 बार इस हेतु पात्र होंगे।)



Thanks!

Email – traininganddevelopment@utkarsh.com